Mob-7250826612

Mob-06562-231403
Mail-dpropalamu2012@gmail.com

झारखण्ड सरकार

कार्यालय: जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) –सह– उपायुक्त, पलामू।

(पंचायत शाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

त्रिस्तरीय (उप) निर्वाचन, 2018 के निमित निर्वाचन में प्रयोग आने वाले बड़ी मतपेटिकाओं के ग्रिसींग, रंगाई, सफाई, तैलीकरण, मरम्मती हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता द्वारा तकनिकी बीड(Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial Bid) दो अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक–26.11.2018 के अपराह्न 01:00 बजे तक जिला पंचायत राज कार्यालय, पलामू के निविदा मतपेटी में डाला जा सकता है एवं उसी दिन 04:00 बजे अपराह्न में निविदा मतपेटी को निविदा समिति के समक्ष उपायुक्त के कार्यालय वेश्म में खोला जाएगा।

निविदा की शर्तें

(I) तकनिकी बीड (Technical Bid) :–

1. निविदा दाता को अद्यतन आयकर एवं वाणिज्य कर विवरणी का ब्यौरा समर्पित करना होगा।
2. निविदा दाता को निविदा के साथ 5000 (पाँच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित राशि तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पलामू के नाम पर देय होगा।
3. निविदा दाता द्वारा व्यवसाय से संबंधित निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. तकनिकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते है। अन्य शर्ते पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
5. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदा दाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।
6. निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है।

(II) वित्तीय बीड (Financial Bid) :–

1. वित्तीय बीड के लिफाफों में बड़ी मतपेटीका का ग्रिसींग, रंगाई, सफाई एवं तैलीकरण, मरम्मती से संबंधित दर अलग–अलग प्रति मतपेटीका के दर के अनुसार अंकित करना होगा।
2. निविदा दाता द्वारा कार्य की गुणवता (ग्रिसींग, रंगाई, सफाई, तैलीकरण, मरम्मती) पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तम क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
3. मतपेटीकाओं का (ग्रिसींग, रंगाई, सफाई, तैलीकरण, मरम्मती) निर्धारित अवधि में करने संबंधी शपथ पत्र कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व जमा करना होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।
4. एजेन्सी द्वारा समय पर एवं सही ढंग से कार्य नहीं करने की स्थिती में समय पर कार्य सम्पादित करने के उद्देश्य से न्यूनतम स्वीकृत दर पर कार्य एक से अधिक संवेदकों के बीच आवंटित करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. कार्य स्थल से भण्डारण स्थल तक मतपेटीकाओं को लाने ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
6. निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. निविदा खोलते समय निविदा दाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित रहेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–उपायुक्त, पलामू।